प्ररूप –ख
(नियम 9 देखिए)
राजस्थान सरकार

सं.

श्री...

....

<u>आवंटन का आदेश</u>

विषय :– जैव–ईधन रोपण और जैव–ईधन आधारित औद्योगिक प्रयोजन के लिए बंजर भूमि का आवंटन।

सन्दर्भ :– आपका आवेदन तारीख...

आपको निम्नलिखित भूमि पट्टाधृति आधार पर /गैर खातेदारी आधार पर आवंटित की गयी हैः–

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा सं.	क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल

आवंटन राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईधन रोपण और जैव–ईधन आधारित और प्रसंस्करण इकाईयों के लिये बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के उपधों के अनुसार निम्नलिखित निबंधनों और शर्तो पर किया जाता हैः–

(1) इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि केवल उसी प्रयोजन के लिये उपयोग में ली जायेगी जिसके लिए वह आवंटित की गयी है। तथापि, आवंटिती आवंटित क्षेत्र का 2 या 10 हैक्टर भूमि, इनमें से जो भी कम हो, कच्ची सामग्री के भंडारण, तैयार माल के भंडारण, श्रमिक आवास और कारखाना शैड के लिए उपयोग में ला सकेगा।

(2) आवंटिती को उस तारीख से, जिसको कब्जा सौपा गया है, दो वर्ष के भीतर भूमि के 50 प्रतिशत को रोपण के उपयोग में लाना होगा अन्यथा आवंटन स्वतः ही रद्द हुआ समझा जायेगा।

(3) आवंटिती समस्त कर, जो समुचित विधियों के अधीन उद्गृहणीय हों का संदाय करने का दायी होगा।

(4) आवंटिती, समय–समय पर यथा–संशोधित राजस्थान भू–राजस्व (जैव–ईधन रोपण और जैव–ईधन आधारित औद्योगिक और प्रसंस्करण इकाईयों के लिए बंजर भूमि का आवंटन) नियम, 2007 के समस्त निबन्धों और शर्तो का और अन्य लागू विधियों का पालन करेगा।

(5) पटटाधृति आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती पट्टा विलेख की समस्त शर्तो का पालन करेगा।

(6) पटटाधृति आधार पर आवंटन की दशा मेंः–

(i) पट्टेदार, नियम 10 में यथा–विहित बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के लिए विहित जि.स्त. स. की दर के 20 प्रतिशत के समतुल्य प्रीमियम जमा करायेगा।

(ii) किराया, उस तहसील में बारानी भूमि के निम्नतम प्रवर्ग के भू–राजस्व के 10 गुने की दर से संदेय होगा।

(iii) राज्य सरकार किसी भी समय वार्षिक पट्टा किराया पुनरीक्षित कर सकेगी जो पट्टेदार द्वारा संदेय होगा।

(iv) एक वर्ष का प्रीमियम और किराया 30 दिन के भीतर या 60 दिन तक की बढ़ी हुई अवधि के भीतर खजाने में जमा कराया जायेगा और वार्षिक किराया प्रतिवर्ष ....(तारीख) के पूर्व संदत्त किया जायेगा।

(7) गैर खातेदारी आधार पर आवंटन की दशा में आवंटिती को ऐसे आवंटन से कोई खातेदारी अधिकार प्रोद्‌भूत नहीं होगें।

(8) आवंटिती प्रीमियम जमा कराये जाने के 15 दिन के भीतर संबंधित पटवारी से आवंटित भूमि का कब्जा लेगा।

(9) आवंटन, समय–समय पर 10 वर्ष की और कालावधि के नवीकरण के अध्यधीन रहते हुए 20 वर्ष की कालावधि के लिए होगा। आवंटन प्राधिकारी को लिखित में अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से नवीकरण से इनकार करने का अधिकार होगा।

(10) यदि राज्य सरकार को लोकहित में, अन्य किसी विशेष प्रयोजन के लिए इन नियमों के अधीन आवंटित भूमि अपेक्षित है तो वह आवंटिती को तीन मास का नोटिस देने के पश्चात भूमि का कब्जा ले सकेगी।

(11) इसमें इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्य सरकार की यह राय हो कि आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा इसमे इसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी प्रसंविदा या शर्त का भंग किया है तो सरकार उसे सुनवाई का अवसर देने के पश्चचात आवंटन निरस्त कर सकेगी।

(12) आवंटिती या उसकी ओर से या उसके अधीन दावा करने वाले किसी व्यक्ति द्वारा उपर्युक्त शर्तो में से किसी के भंग होने पर , बंजर भूमि के नये आवंटन पर सरकार को हुई कोई हानि पट्‌टेदार से वसूलीय होगी।

(13) आवंटिती क्षेत्र के स्थानीय निवासियों को नियोजन में अधिमान देगा।

(14) आवंटिती, आवंटित भूमि का स्वयं उपयोग करेगा और भूमि का अन्तरण/ उप–पट्‌टा नहीं करेगा।

(15) आधुनिक प्रौद्योगिकी के अनुसार सूक्ष्म सिंचाई प्रबन्धन प्रणाली अपनाना अनिवार्य होगा।

(16) आवंटिती, आवंटन प्राधिकारी का पूर्व अनुमोदन अभि–प्राप्त किये बिना स्थायी प्रकृति का कोई संनिर्माण नहीं करेगा।

(17) आवंटिती जैव ईधन प्रधिकरी द्वारा नियत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जोन में अवस्थित कम्पनी को उत्पाद का विक्रय करेगा।

पट्‌टाधृति आधार पर आवंटन की दशा में पट्‌टा विलेख, प्रीमियम जमा कराये जाने की तारीख से दो मास के भीतर निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किया जायेगा।

कलक्टर/शासन उप सचिव के हस्ताक्षर

प्रतिलिपि :

श्री..(आवंटिती) कम्पनी/सरकारी/उपक्रम/सोसाइटी/गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों के स्वंय सहायता समूह/ग्राम पंचायत/सरकारी सोसाइटियां।

कलक्टर/शासन उप सचिव के हस्ताक्षर